राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक CCE/ISDC/RACE/2022-23/.204 दिनांक : 16 March 2023

प्राचार्य,
DRAC अध्यक्ष महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः— राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक प्रबन्धन हेतु कार्यव्यवस्थार्थ संकाय सदस्य भेजने बाबत्।

संदर्भः— RACE परियोजनान्तर्गत आदेश क्रमांक CCE/PSC/ISDC/RACE/2019/946 दिनांक 12.07.2019 को जारी मूल आदेश तथा इसकी निरंतरता में जारी अन्य आदेशों की क्रियान्विति ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि RACE परियोजना के अन्तर्गत सभी DRAC नोडल प्राचार्य अपने जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक प्रबन्धन यथा शिक्षण कार्य/प्रायोगिक परिक्षाओं/विश्वविद्यालयी परिक्षाओं की सुचारू व्यवस्था हेतु महाविद्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर RACE कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए महाविद्यालय तथा विद्यार्थी हित में इन व्यवस्थाओं का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि—:

1. सभी जिला संसाधन समिति समन्वयक/अध्यक्ष अपने जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालयों जहां कहीं किसी विषय में जीरो पोस्टिंग की स्थिति है. वहां शैक्षिक प्रबन्धन यथा शिक्षण कार्य/प्रायोगिक परिक्षाओं/विश्वविद्यालयी परिक्षाओं की सुचारू व्यवस्था हेतु प्राथमिकता से अविलंब उन महाविद्यालयों में संकाय सदस्य भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. RACE परियोजनान्तर्गत यथा निर्देशित वरिष्ठतम से कनिष्ठतम से क्रम में चलते हुये शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षको को भिजवायें परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि जिन संकाय सदस्यों को अभी तक इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी महाविद्यालय में शैक्षिक प्रबन्धन हेतु नही भेजा गया है, उन्हें सबसे पहले शैक्षिक प्रबन्धन हेतु भिजवायें और उसके वाद वरिष्ठतम से कनिष्ठतम के क्रम का अनुसरण करें। विशेष परिस्थितियों में DRAC नोडल प्रभारी द्वारा इस नियम में शिथिलता वरती जा सकती है।
3. कुछ समन्वयकों/अध्यक्षों द्वारा शैक्षिक प्रबन्धन हेतु अन्य महाविद्यालयों में संकाय सदस्यों को भेजते समय स्वयं के महाविद्यालय से संकाय सदस्य नहीं भेजे गये है तथा बिना पूर्व सहमति के सदस्य महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों को भेजा गया है। इस संबंध में पुनः स्पष्ट स्मरण रहें कि नोडल महाविद्यालय में पदस्थापित संकाय सदस्यों को शैक्षिक प्रबन्धन हेतु प्राथमिकता से निजवायें। यदि इसके साथ–साथ ही आवश्यक होने पर ही अथवा दूरी सीमा संबंधी नियम के कारण ही साथी महाविद्यालयों जहां अपेक्षाकृत छोटे महाविद्यालयों से संकाय सदस्य भिजवाने संबंधी आदेश जारी करें। इस प्रकार के आदेश जारी करने से पूर्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य, जहां से कि

शैक्षिक प्रबन्धन हेतु संकाय सदस्यों को भेजा जाना है, की सहमति भी प्राप्त कर ही आदेश जारी करें। इससे एक स्वस्थ्य परंपरा का निर्वाहन सुनिश्चित किया जाना है।

4. RACE परियोजनान्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था करते समय भेजे जाने वाले संकाय सदस्य को एक बार में 06 कार्यदिवस के लिये तथा एक सत्र में 18 दिवस के लिए भिजवाना है। यदि कोई इस अवधि में किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग करता है तो इस कार्यदिवस अवधि में तदनरूप अभिवृद्धि होगी।
5. यदि किसी विषय के शिक्षक आपके जिले में उपलब्ध नहीं हो तो इसकी अविलंब सूचना संयुक्त निदेशक, एच.आर. डी. आकाशि को अविलंब ई–मेल करें साथ ही प्रभारी अधिकारी के माध्यम से यह सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि इस संबंध में आयुक्तालय स्तर से व्यवस्था की जा सकें।
6. यदि किसी विषय के संकाय सदस्य जिले में तो उपलब्ध है परंतु वे 70 किमी से अधिक दूरी के महाविद्यालय में पदस्थापित है एवं उन्हें RACE के सामान्य नियमों के अंतर्गत आप द्वारा भिजवाया जाना संभव नहीं हो, तो इसकी सूचना भी आप ई–मेल एवं प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भिजवायें ताकि इस संबंध में आयुक्तालय की ओर से अनुमति/निर्देश जारी किये जा सकें।
7. शैक्षिक प्रबन्धन की सुचारू व्यवस्था हेतु इस योजनान्तर्गत बनाये गये नियम राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सभी नियमित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिको पर लागू होगें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक CCE/ISDC/RACE/2022-23/204 ; दिनांक :16 March 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
4. निजी सहायक, अतरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक HRD/Acad/ RUSA/P&C/Admn/Pl आकाशि
6. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, आकाशि को आदेश की क्रियान्विति सुनिश्चित करवाने हेतु
7. समस्त प्रभारी अधिकरी, कॉलेज समूह, आकाशि को संबंधित महाविद्यालयों के साथ समन्वय हेतु।
8. वैब प्रभारी को आकाशि की वेबसाइट पर अपलोड/संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली ।

16/3/2023
प्रभारी अधिकारी
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ